

संयुक्त निदेशक,

रीजनल इन्स्टीट्यूट फॉर मेन्टली हेल्थीकेम्प,
सेक्टर-31, चण्डीगढ़।विषय:- **National capacity building & training of doctors on substance use disorders.**

संदर्भ:- आपका पत्र सं0 787 दिनांक 16.9.2011 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में **National capacity building & training of doctors on substance use disorders** के प्रशिक्षण दिनांक 8.11.2011 से 22.11.2011 हेतु निम्न चिकित्सको को नमांकित करते हुए भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स का समस्त व्यय आर्गेनाइजर द्वारा दिया जावेगा।

S. N O.	District	Nominee Dr. Name	Place	Dis- Name	Post
1	SriGangaNagar	Vinod Kumar Sharma	CHC	Suratgarh	MO
2	Hanumangarh	Suresh Chandra Swami	CHC	Bhadra	MO
3	Bikaner	Jaswant Singh	CHC	Khajuwala	MO
4	Churu	ManMohan Gupta	CHC	Rajgarh	MO
5	Jhunjhunu	Sanjay Kumar Saini	CHC	Khatdi	MO
6	Sikar	Akhilesh Kumar Meena	CHC	Ringas	MO

भवदीय


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2. डा0 बी0 एस0 चौहान, व्याख्याता एवं प्रधान, फिजीचीतरी, राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सेक्टर, 32, चण्डीगढ़-160030.

4. निदेशक(जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0, जयपुर।

5. रक्षित मंत्रायत्नी।


अनुभागाधिकारी

P.T.O.

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-130/2011/926

दिनांक : 04/11/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/अजमेर/भरतपुर /कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उपरोक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण तिथि से पूर्व ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, ताकि समय पर उपरोक्त मनोनीत चिकित्सक प्रशिक्षण में भाग ले सकें।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
4. रक्षित पत्रावली।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।